UPJP010052552021

IN THE COURT OF
Addl. District and Sessions Judge 6th/Spl. Judge Pocso Act. at, Jaunpur.

Presided Over by Surendra Pratap Yadav (H.J.S.)
J.O. Code-UP1668

Special Sessions Trial-147/2021

सरकार

...........अभियोगी।

बनाम

नितिन तिवारी पुत्र विजय प्रकाश तिवारी, निवासी ग्राम मेढ़ा, थाना खुटहन, जिला जौनपुर।

.............अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–81 सन् 2021
रजिस्ट्रेशन नंबर–714/2021
धारा–377, 352, 504 भारतीय दण्ड संहिता
धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि०
थाना–खुटहान, जिला–जौनपुर।

शिकायतकर्ता/वादी मुकदमा	उत्तर प्रदेश सरकार/संजीत कुमार सिंह
प्रतिनिधित्वकर्ता/विद्वान अधिवक्ता	विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्त	नितिन तिवारी
बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	श्री लाल बहादुर यादव एड० श्री आशुतोष कुमार एड० श्री श्याम शंकर त्रिपाठी एड०

➢ **महत्वपूर्ण तिथियां**

घटना की तिथि	04.04.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने की तिथि	07.04.2021
आरोप विरचन की तिथि	29.10.2021
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	22.02.2023
निर्णय में सुरक्षित करने की तिथि	25.05.2026

निर्णय

1. यह विचारण थाना खुटहान, जिला जौनपुर की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–81 सन् 2021 में अभियुक्तगण नितिन तिवारी व गोलू उर्फ सचिन तिवारी के विरूद्ध धारा–377,

Digitally signed by SURENDRA PRATAP YADAV
Date: 2026.05.02 12:40:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

352, 504 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित आरोप पत्र पर प्रारम्भ हुआ।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **निपुन सक्सेना बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (2019) 2 एस.सी.सी.703** में यह निर्देशित किया गया है कि **''न्यायालय को बलात्संग से सम्बन्धित निर्णयों में पीड़ित का नाम नहीं लिखना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़ित का नाम सार्वजनिक न होने के उद्देश्य से निर्णय के अग्रेतर भाग में उसे पीड़ित शब्द से सम्बोधित किया जायेगा।''**

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक तहरीर **प्रदर्श क–1** के अनुसार इस प्रकार है कि "प्रार्थी ग्राम मेढ़ा थाना खुटहन जनपद जौनपुर का स्थायी निवासी है। घटना दिनांक 04.04.2021 शाम करीब 05:00 बजे की है। प्रार्थी के गांव के नितिन तिवारी पुत्र विजय प्रकाश तिवारी व गोलू पुत्र श्री प्रकाश तिवारी प्रार्थी के लड़के/पीड़ित उम्र 6 वर्ष, जिसे बहला–फुसलाकर सुनसान नाले की तरफ ले गये और दुराचार किये। प्रार्थी घर पर नहीं थी। प्रार्थी जब रिस्तेदार के यहाँ से कल घर आया, तो प्रार्थी की पत्नी व लड़का/पीड़ित रो–रोकर सारी बाते प्रार्थी से बताया। जब इस बात को पूछने प्रार्थी नितिन तिवारी व गोलू तिवारी उर्फ सचिन तिवारी के पास पहुंचे, तो उपरोक्त लोग उलाहना न सुनकर गाली देते हुए प्रार्थी को मारने दौड़े और धमकी दिये कि जो करना हो, कर लो। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी थाने आकर लिखित सूचना दे रहा है। आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें, ताकि न्याय हो।"

4. उक्त तहरीर **प्रदर्श क–1** के आधार पर थाना खुटहान, जनपद जौनपुर पर दिनांक 07.04.2021 को मुकदमा अपराध संख्या–81 सन् 2021, अन्तर्गत धारा–377, 352, 504 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम विरूद्ध नितिन तिवारी व गोलू उर्फ सचिन तिवारी पंजीकृत हुआ और विवेचना प्रारम्भ हुई। दौरान विवेचना विवेचक के द्वारा साक्षियों के बयान लिए गए, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी **प्रदर्श क–7** बनाया गया और पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर नितिन तिवारी व गोलू उर्फ सचिन तिवारी के विरूद्ध धारा–377, 352, 504 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र **प्रदर्श क–11** विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2021 को नितिन तिवारी व गोलू उर्फ सचिन तिवारी के विरूद्ध विरूद्ध धारा–377, 352, 504 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से

बालकों का संरक्षण अधिनियम का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

6. किशोर न्यायबोर्ड, जौनपुर की आख्या दिनांकित 25.11.2022 के अनुसार अभियुक्त गोलू उर्फ सचिन तिवारी किशोर अपचारी घोषित किया गया है, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.12.2022 के माध्यम से किशोर अपचारी गोलू उर्फ सचिन तिवारी की पत्रावली को पृथक कर किशोर न्यायबोर्ड, जौनपुर प्रेषित किया गया। प्रश्नगत पत्रावली में केवल अभियुक्त नितिन तिवारी के सम्बन्ध में ही विचारण किया गया है और निर्णय पारित किया जा रहा है।

मौखिक साक्ष्य

7. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा संजीत कुमार सिंह, पी०डब्ल्यू०–2 पीड़ित, पी०डब्ल्यू०–3 डॉ० अंकित श्रीवास्तव, पी०डब्ल्यू०–4 समरजीत तिवारी प्रधानाचार्य, पी०डब्ल्यू०–5 हेड कॉ० हरिनाम यादव व पी०डब्ल्यू०–6 निरीक्षक शीतल चन्द को परीक्षित कराया गया।

8. **दस्तावेजी साक्ष्य**

क्रम	प्रदर्श संख्या	दस्तावेजी प्रपत्र	किसने साबित किया
1	प्रदर्श क–1	तहरीर	साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुदमा संजीत कुमार सिंह
2	प्रदर्श क–2	बयान अन्तर्गत धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता	साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 पीड़ित
3	प्रदर्श क–3	चिकित्सीय आख्या	साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 डॉ० अंकित श्रीवास्तव
4	प्रदर्श क–4	एस०आर० रजिस्टर	साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 समरजीत तिवारी प्रधानाचार्य
5	प्रदर्श क–5	चिक एफ०आई०आर०	साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 हेड कॉ० हरिनाम यादव
6	प्रदर्श क–6	कायमी जी०डी०	साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 हेड कॉ० हरिनाम यादव
7	प्रदर्श क–7	नक्शा–नजरी घटना स्थल	साक्षी पी०डब्ल्यू०–6 निरीक्षक शीतल चन्द
8	प्रदर्श क–8	गिरफ्तारी जी०डी०	साक्षी पी०डब्ल्यू०–6 निरीक्षक शीतल चन्द
9	प्रदर्श क–9	गिरफ्तारी मेमो	साक्षी पी०डब्ल्यू०–6 निरीक्षक शीतल चन्द
10	प्रदर्श क–10	बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं०	साक्षी पी०डब्ल्यू०–6 निरीक्षक शीतल चन्द
11	प्रदर्श क–11	आरोप पत्र	साक्षी पी०डब्ल्यू०–6

			निरीक्षक शीतल चन्द

9. अभियोजन पक्ष की ओर से **साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा संजीत कुमार सिंह** ने सशपथ मुख्य बयान में बताया कि उसका लड़का/पीडित घटना के समय कक्षा–4 में पढ़ रहा था, इस समय कक्षा–5 में पढ़ रहा है। घटना के समय उसकी उम्र लगभग 11 वर्ष थी। घटना दिनांक 04.04.2021 शाम 05:00 बजे की है। उसके गांव के नितिन तिवारी पुत्र विजय प्रकाश तिवारी व गोलू उर्फ सचिन पुत्र श्रीप्रकाश तिवारी उसके लड़के को बहला–फुसलाकर सूनसान नाले की तरफ, जो मेढ़ा बाजार से दो–ढ़ाई किमी. दूर नौरंगाबाद बगीचे में ले जाकर अप्राकृतिक दुराचार किया। घटना के दिन वह घर पर नहीं था, रिश्तेदारी गया गया था और जब वह वापस आया, तो उसकी पत्नी व उसका लड़का रो–रोकर सारी बात बताये। वह मुल्जिमान के घर गया, तो उनके परिजन व मुल्जिमान उलाहना न सुनकर गाली देते हुए मारने के लिए दौड़ा लिये और धमकी भी दिये। उसके बाद वह दिनांक 07.04.2021 को थाने से बाहर बैठे एक अज्ञात व्यक्ति से बोलकर एक प्रार्थनापत्र लिखवाया व पढ़कर सुनाने के बाद अपना हस्ताक्षर उस पर बनाया। उसे ले जाकर थाने में दिया, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–4 क/3 तहरीर दिखाया गया, तो साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया, जिसपर **प्रदर्श क–1** डाला गया। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था और उसके व उसके लड़के/पीड़ित के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। **इस साक्षी ने अपनी जिरह में बताया** कि उसने रपट अपरिचित व्यक्ति से लिखवाया था। वह कक्षा–9 तक पढ़ा है। वह रपट लिखना नहीं जानता था। इसलिए अपने हाथ से नहीं लिखा। जिससे रपट लिखवाया, वह रपट लिखना जानता था। उसने रपट नहीं पढ़ा, न ही रपट पढंकर सुनाये थे। रपट लिखाते समय दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसलिए उम्र 6 वर्ष लिखा दिया था। दरोगा जी को धारा–161 दं०प्र०सं० के बयान में लड़के की उम्र 6 वर्ष लिखाया था। डॉक्टरी मुआइना कराने उसके साथ सिपाही भी गये थे। डॉक्टर साहब ने उससे लड़के की उम्र नहीं पूछा था। लड़के की उम्र 6 वर्ष उसने बताया था। उसका दिमाग 4–5 महीने तक सही नहीं था। उसने दवा बाजार के डॉक्टर से ऐसे ही करायी थी। उसके चार बच्चे हिमांशु, आंशू, रिशू, छोटू है, जिनकी उम्र नहीं बता सकता। सब घर में पैदा हुए है। प्रियंका उसकी सगी बहन है, जिसने अपराध संख्या–270 सन् 2016 धारा–147, 354 ए, 376, 511, 506 भारतीय दण्ड संहिता का मुकदमा विकास, जिलेदार, बब्बन, रोहित, अंकित, रामपाल तिवारी व ओम प्रकाश के विरूद्ध दर्ज कराया, जिसमें अंकित पुत्र अशोक को मुल्जिम बनाया है। उस मुकदमें में उसका बयान हुआ है, जिसमें पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगा दिया। इस मुकदमें की रपट लिखने वाला पहले से उससे परिचित नहीं था। वह उससे शाम को पांच बजे मिला था। वह उसका लड़का व वह आदमी ही था। थाने से 10 कदम की

दूरी पर चाय समोसे की दुकान पर वह आदमी मिला था। उससे नाम, गांव परिचय नहीं पूछा। दूबारा वह आदमी नहीं मिला। उस दुकान पर उसने रपट लिखायी थी। पृष्ठ–6 पर उसने बताया कि उसे एक साल बाद पता चला कि उसके लड़के की उम्र 11 वर्ष है। एक रिस्तेदार ने बताया। अपने घर से 20 किलोमीटर दूर घटना के दिन अपने सडुहान दिन में 01.00 बजे कुवरपुर साढू ढ़िन्चू सिंह के यहां गया था। दिनांक 07.04..2021 को 11.00 बजे वापस अपने घर आया। तीन दिन तक अपने साढू के यहां रूका था, क्योंकि वहां जगराता का प्रोग्राम था। उसकी पत्नी शकुन्तला देवी ने लड़के का इलाज बाजार के ही डॉक्टर से कराया था। किस डॉक्टर से कराया था, नाम याद नहीं है। थाने शाम को पांच बजे पहुंचा था। थाने के अन्दर सात बजे गया। समय पांच बजे से सात बजे तक थाने में बैठा था। आठ बजे रपट की कॉपी मिल गयी। दरोगा जी ने रपट की कॉपी देकर उसे घर भेज दिया। पी०एच०सी० खुटहन थाने से 50 मीटर दूर है। वह अपने लड़के को लेकर घर 10–11 बजे रात पहुंचा था। 9 या 10 तारीख को जौनपुर सदर अस्पताल में वह, उसका लड़का व एक पुलिस आये थे। डॉक्टरी मुआइना 04.30 बजे शाम को हुआ। कचेहरी में उसके लड़के का बयान धारा–164 मजिस्ट्रेट न दर्ज किया। लड़के ने अपनी उम्र 6 वर्ष बताया। घटना के तीन माह बाद, लड़के का धारा–164 दं०प्र०सं० का बयान कराने कचेहरी आया था। गांव में सात घर ब्राह्मण है, वह अकेला ठाकूर है। ब्राह्मणों से उसकी दुश्मनी है। जिन लोगों ने उसकी बहन का रेप किया, वह घटना दिन की थी। समय वह नहीं बता सकता, क्योंकि वह उस समय घर पर नहीं था। पंडित लोग बहुत परेशान करते है। भोला तिवारी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसका भी मुकदमा करेगा। उसने अपनी रपट में दरोगा जी को यह बात नहीं लिखाया था कि "मेरे गांव के नितिन ––– सचिन–– बहला–फुसलाकर सुनसान नाले की तरफ, जो मेढ़ा बाजार से दो–ढ़ाई किलोमीटर दूर नौरंगाबाद बगीचे में ले जाकर मेरे लड़के के साथ अप्राकृतिक दुराचार किया था।" उक्त बाते रपट में नहीं लिखाया था। दरोगा जी को बताया था, अगर उन्होंने नहीं लिखा, तो इसकी वजह नहीं बता सकता। यह सही है कि उसने अपनी रपट में उसका लड़का/पीड़ित घटना के समय कक्षा–4 में पढ़ रहा था। इस समय कक्षा–5 में पढ़ रहा है। घटना के समय उसकी उम्र लगभग 11 वर्ष थी। उक्त बातें न तो उसने अपनी रपट में लिखाया, न दरोगा जी को बताया।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से **साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 पीड़ित** ने सशपथ मुख्य बयान में बताया कि उसने कक्षा–5 की परीक्षा दिया है। उसके स्कूल का नाम मुस्तफाबाद प्राइमरी स्कूल है। उसे अपनी जन्मतिथि नहीं मालूम है। घटना 04.04.2021 की शाम 05:00 बजे की है। घटना का स्थान नौरंगाबाद नाले के पास सूनसान बगीचे का है। उसके साथ घटना नितिन तिवारी ने किया। गोलू का नाम नितिन तिवारी नहीं है। गोलू का नाम सचिन तिवारी है। उसके साथ घटना सचिन

तिवारी ने भी किया है। सचिन तिवारी एवं नितिन तिवारी दोनों ने उसके गुदा द्वार में अपना पेशाब करने वाला अंग डाला है। वह घटना के दिन एवं समय बाजार मेढ़ा पूजा का सामान लेने जा रहा था। वे दोनों उसे नाले के पास बहला–फुसलाकर ले गये। बगीचे में एक मड़ई थी। मड़ई में एक चैकी/तख्त था, जिस पर उसे लिटा दिये। उसके साथ पहले गलत काम नितिन ने किया और उसके बाद गोलू उर्फ सचिन ने गलत काम किया। उसने शोर किया, तो एक बुड्ढ़ा राहगीर आया, तो वे दोनों उसे छोड़कर भाग गये। वह बुड्ढे आदमी के साथ मेढ़ा बाजार गया और बाजार से सामान नहीं खरीदा। वह बाजार से बघाड़ी गांव के एक आदमी के साथ वापस घर आया। उसे उक्त दोनों आदमियों का नाम, जो उसे बाजार एवं बाजार से घर वापस लेकर आये, नहीं मालूम है। उसकी डाक्टरी हुई थी। उसने घटना को दूसरे दिन अपनी मम्मी से बताया। उसका मेडिकल हुआ था। उससे पुलिस वाले पूछताछ किये थे। उसका न्यायालय में बयान हुआ था। बयान अंतर्गत धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लिफाफा आज न्यायालय में खोला गया और गवाह को दिखाया गया तो गवाह ने उसपर अपने फोटो व हस्ताक्षर का शिनाख्त किया, जिसपर **प्रदर्श क–2** डाला गया। उसने जो मजिस्ट्रेट के समक्ष बताया था, वही बयान लिखा गया था। **इस साक्षी ने अपनी जिरह में बताया** कि वह घटना के समय मेढ़ा प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था। घटना के दिन स्कूल खुला था। स्कूल की छूट्टी दिन में दो बजे होती थी। वह स्कूल सुबह आठ बजे पढ़ने गया था। स्कूल का समय सुबह आठ बजे से दो बजे दिन तक था। वह स्कूल से आकर खाना खाकर सो गया था। करीब तीन बजे उठा। तीन बजे उठने के बाद बाजार पूजा का सामान लेने जा रहा था। वह पैदल जा रहा था। नितिन तिवारी बाजार में मिले। नितिन तिवारी के साथ गोलू उर्फ सचिन भी थे। वह पूजा का सामान खरीद नहीं पाया था। नितिन तिवारी उसे टाफी–बिस्किट दिलाने के लिए कहे। टाफी एवं बिस्किट खरीद कर नहीं दिये। नितिन तिवारी व गोलू अलग–अलग साइकिल पर थे। वह नितिन तिवारी की साइकिल पर बैठा था। उसने बताया कि वह पूजा का सामान खरीदने आया हूँ, सामान खरीद कर चलूंगा। नितिन तिवारी जबरदस्ती साइकिल पर बिठा लिये। साइकिल पर आगे बिठाया। वहां पर दो–तीन दुकान थी। वह साइकिल से कूदा नहीं था। वह बाजार उसके घर से पांच किलोमीटर दूर है। वह इसके पहले भी बाजार सामान लेने जाता थे। एक मड़ई थी। जहाँ पर उसे साइकिल पर बैठाया गया, वहाँ से मड़ई दो–तीन किलोमीटर दूर थी। उसके गांव में पूजा का सामान नहीं मिलता है। उसके गांव में दो दुकान है। नौरंगाबाद में कोई दूकान नहीं है। वह मेढ़ा बाजार गया था। उसे जिस मढ़ई में ले जाया गया था, वहां पर तक्ता वगैरा था। मड़ई के बगल में मन्दिर है, किस देवता का मन्दिर है, उसे नहीं पता। उक्त मन्दिर में कोई पूजारी नहीं रहते है। वहां पर केवल छोटी सी पिण्डी है। उसने मुल्जिमान से नहीं कहा कि यहां पर क्यो लाये हो। उसने साइकिल पर बैठने का विरोध नहीं किया। उसे जब मड़ई में ले गये,

तो उसे नितिन ने तकथ पर लेटाया था। उसने तकथ पर लिटाते समय विरोध किया, शोर किया। शोर पर कोई नहीं आया। वह आदमी मड़ई के पास मिला। वे दोनों लोग उसे छोड़कर भाग गये। वह आदमी अधेड़ था। वह आदमी उसे बाजार लेकर गया था। उसे वह आदमी गांव लेकर नहीं आया था। वह आदमी उसके गांव का नहीं है। मजिस्ट्रेट के यहां उसने अपनी उम्र 6 वर्ष बतायी है। उसे स्कूल जाने पर पता चला कि उसकी उम्र 12–13 साल है। घटना के चार महीने बाद स्कूल गया था। वह घटना वाले दिन दवा लेने नहीं गया था। अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ था। उसके शरीर, पीठ एवं गूदा द्वार में चोट आयी थी और किसी जगह चोट नहीं आयी थी। उसकी पीठ से खून नहीं निकला था। स्वयं कहा कि गुदा द्वार से खून निकला था। उसे किसी ने मारा नहीं था, उसने भी किसी को मारा नहीं था। उसने डॉक्टर साहब के यहाँ भी अपनी उम्र 6 वर्ष बताया था। उसकी उम्र 6 वर्ष है, उसके पापा ने बताया था।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से **साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 डॉ० अंकित श्रीवास्तव** ने सशपथ मुख्य बयान में बताया कि दिनांक 09.04.2021 को वह जिला चिकित्सालय जौनपुर में आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उसी दिन कॉ० प्रवेश कुमार राजभर, थाना खुटहन, जौनपुर द्वारा पीड़ित उम्र 6 वर्ष पुत्र संजीत सिंह निवासी मेढ़ा, थाना खुटहन, जौनपुर को उसके समक्ष डॉक्टरी परीक्षण हेतु लाया गया था। पहचान चिन्ह कोई नहीं था। पीड़ित के पिता से लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद उसके द्वारा डॉक्टरी परीक्षण किया गया। पीड़ित के कथनानुसार घटना स्थल ग्राम नौरंगाबाद, जो उसके निवास स्थान से दो किलोमीटर दूरी पर था। दिनांक 04.04.2021 को शाम 05:00 बजे लेटी हुई अवस्था व पूरे होशो–हवास में घटना हुई। घटना के समय वह मदद के लिए चिल्लाया। पीड़ित के चलने में दर्द का अनुभव हो रहा था, वह अकेले घर पहुंचा और घाव वाली जगह को उसने धोया नहीं था। उस समय उसको बुखार जैसा महसूस हो रहा था। अभियुक्त को पीड़ित पहले से जानता था। दूसरे दिन उसने स्नान किया। पीड़ित का सामान्य परीक्षण किया गया। जिसकी ऊचाई 125 सेमी., वजन 18 केजी.। चलने पर उस समय उसे दर्द नहीं हो रहा था और न ही खड़े होने पर उसे दर्द हो रहा था। उसकी दाहिनी भुजा के 5 सेमी. नीचे 2 X .5 सेमी. का छिला हुआ घाव था। पीठ पर बाये स्केपुला से 5 सेमी. नीचे 4 X 0.2 सेमी. का छिला हुआ निशान था। पीठ पर ही स्केपुला के 1 सेमी. नीचे बायी तरफ 1 X 1 सेमी. का छिला हुआ भाग था। परीक्षण के समय उसने कपड़ा बदल रखा था। उसके गुदा के आसपास कोई अन्य प्यूबिक हेयर मौजूद नहीं था। लोकल परीक्षण में–पेरीजनल परीक्षण में छिला हुआ 1 X 0.5 सेमी. ऐट 6 ‘o’ Clock के पोजीशन पर था। रंग रेडिस ब्राउन था। छिला सूजन का निशान था। 0.8 सेमी. X 0.5 सेमी., 12 ‘o’ Clock के पोजिशन में छिला हुआ था। गुदा के आसपास की चमड़ी का रंग परिवर्तित था, वह सूजा हुआ था।

गुदा फेज हल्का फैला व ढीला था। अंगुली से परीक्षण के समय दर्द हो रहा था, उस समय ताजा रक्तस्राव नहीं था। उसकी राय में उक्त घाव घर्षण एवं ब्लन्ट आब्जेक्ट से चोट के कारण हुआ। चोट लगभग 4–5 दिन पुरानी थी। मल–मूत्र सामान्य था। गुदा स्वाव लेकर परीक्षण के समय उपस्थित पुलिस कॉस्टेबल को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए दे दिया था। शामिल पत्रावली मेडिकल रिपोर्ट देखकर साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त किया, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। **इस साक्षी ने अपनी जिरह में बताया** कि लड़के को उन्होंने देखा था। पीड़ित देखने से छः वर्ष का प्रतीत हो रहा था। पीड़ित के पिता के बताने पर उसकी उम्र छः वर्ष लिख दिया था। कोई व्यक्ति अगर 2009 में पैदा हुआ हो और उसका मेडिकल 2021 में हुआ हो, तो उसकी उम्र 11 वर्ष होगी। 11 वर्ष व 6 वर्ष के बच्चों में अन्तर होता है, लेकिन अनुवांशिक कारणों से या किसी पोषक तत्व की कमी से या किसी बिमारी से पूरी तरह अन्तर कर पाना मुश्किल है। पीड़ित कूपोषित नहीं लग रहा था, किन्तु पूरी तरह स्वस्थ्य भी नहीं दिख रहा था। उन्होंने मेडिको लीगल रिपोर्ट में पीड़ित के चोट के बारे में कहीं सूजन नहीं लिखा है। कोई भी चोट 24 घण्टे बाद रंग बदलती है। पहली बार लाल से परपल रंग व नीला रंग की तरफ बढ़ेगा। नीला कलर 4 दिन लगभग 96 घण्टे बाद बदल जायेगा, फिर उस चोट का रंग भूरा हो जागेया। यह भूरा रंग 5–10 दिन अर्थात 120 घण्टे बाद पीलापन में आ जायेगा। एबरेजन व कैन्कुलेजन में अन्तर यह होता है कि अबरेजन छिला हुआ होता है और कैन्कुलेजन में चमड़ी इनटैक्ट रहती है और उसके अन्दर बल्ड भरा रहता है। पीड़ित को दो एब्रिटेड कैन्कुलेजन था। लैनियर एबरेजन की चोट नाखून जैसे विपन से आ सकती है। जिरह के पृष्ठ–5 पर उनके द्वारा बताया गया कि बच्चे की एज डिटरमीनेशन के लिए सी०एम०ओ० या रेडियोलॉजिस्ट के पास नहीं भेजा था। पिता व पीड़ित के बताने पर एज लिखी। सेक्सुअल ऑफेन्स में मेल के एज डिटरमीनेशन के लिए बच्चे को रेडियोलाजिस्ट के पास भेजा जाता है। यह जानकारी मुझे नहीं है, फिमेल को भेजते हैं, यह पता है। यह कहना गलत है कि कोई चोट नहीं थी। उसके पिता के कहने पर उम्र 6 वर्ष दिखाकर चोटे फर्जी बनायी है और जानबूझकर एज डीटरमीनेश के लिए रेडियोलॉजिस्ट के पास नहीं भेजा है।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से **साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 समरजीत तिवारी प्रधानाचार्य माध्यमिक विद्यालय मेढ़ा बदलापुर जौनपुर** ने सशपथ मुख्य बयान में बताया कि वह प्राथमिक विद्यालय मेढ़ा का प्रधानाध्यापक है। न्यायालय द्वारा सम्मन भेजे जाने पर मूल प्रवेश रजिस्टर लेकर साक्ष्य देने आया है। विद्यालय के समस्त रजिस्टर उसकी देखरेख में रहते हैं। उसके विद्यालय के एस०आर० रजिस्टर के अनुसार क्रमांक–1704 पर छात्र/पीड़ित की जन्मतिथि 10.03.2009 पुत्र संजीत कुमार, माता शकुन्तला देवी निवासी मेढ़ा बदलापुर जौनपुर दर्ज है। उक्त छात्र द्वारा उसके

विद्यालय से कक्षा–1 से कक्षा–5 तक की शिक्षा ग्रहण की गयी है। आज वह न्यायालय में एस०आर० रजिस्टर की स्वप्रमाणित छायाप्रति दाखिल कर रहा है, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। **इस साक्षी ने अपनी जिरह में बताया** कि जिस समय पीड़ित का प्रवेश लिया था, उसकी उम्र 6 वर्ष 3 माह थी। उसका प्रवेश दिनांक 24.07.2015 को लिया गया है। उसने दिनांक 30.03.2020 को कक्षा–5 पार किया। दिनांक 24.07.2015 से 01.04.2016 तक पीड़ित कक्षा–1, दिनांक 01.04.2016 से 01.04.2017 तक कक्षा–2, दिनांक 01.04.2017 से 01.04.2018 तक कक्षा–3 व दिनांक 01.04.2018 से 01.04.2019 तक कक्षा–4 पास किया। यह जन्मतिथि छात्र/पीड़ित के अभिभावक के बताने पर लिखा है। लड़के का नाम लिखाने उसकी मां आयी थी। उन्होंने जन्म के सम्बन्ध में कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया था। उनकी राय में दिनांक 04.04.2021 को पीड़ित की उम्र 12 वर्ष से अधिक थी। स्वविवेक से बच्चे को रेखकर उसकी मां के बताने पर कक्षा–1 में प्रवेश लिया था।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से **साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 हेड कॉ० हरिनाम यादव** ने सशपथ मुख्य बयान में बताया कि वह दिनांक 07.04.2021 को थाना खुटहन पर बतौर हेड मोहर्रिर तैनात था। उस दिन थाने पर तहरीर लेकर संजीत सिंह निवासी मेढ़ा आये थे। उनके तहरीर के आधार पर सी.सी.टी.एन.एस. पर बोलकर यह मुकदमा लिखा था। अपराध संख्या–81/2021 पर अंतर्गत धारा–377, 352, 504 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा लिखा है। कॉ० मुंषी राजेश्वर यादव से लिखवाये थे। साक्षी को कागज संख्या–4क/1 ता 4क/2 दिखाया गया, जो चिक एफ०आई०आर० है, उस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। अतः उस पर **प्रदर्श क–5** अंकित किया गया। इस मुकदमे की कायमी जी०डी०, जी०डी० नं०–52 दिनांक 07.04.2021 समय 20:20 बजे उसने कम्प्यूटर से बोल–बोलकर किता कराया था। उच्चाधिकारियों को चार्ली के माध्यम से सूचना दी। विवेचना अपराध निरीक्षण शीतल चन्द को दी गयी। साक्षी को कायमी जी०डी० कागज संख्या–6क/3 दिखायी गयी, जिस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया जिस पर **प्रदर्श क–6** अंकित किया गया। **इस साक्षी ने अपनी जिरह में बताया** कि उसने जो रपट लिखी, उसे 8 तरीख को न्यायालय भेजा था। पीड़ित बच्चा वादी के साथ थाने नहीं आया था। वादी अकेला था। खुद कहा कि वादी की तहरीर के आधार पर लिखा कि हमराह बच्चा साथ था, उस समय। बच्चे की चोटों का तस्करा जी०डी० में नहीं किया, क्योंकि बाहरी कोई चोट नहीं थी। बच्चे की उम्र तहरीर के आधार पर सही लिखी है। जिस समय वादी थाने पर आया, कोई अधिकारी थाने पर मौजूद नहीं था। ह्वाटस्प पर प्रभारी को चिक व कायमी भेजी थी। आदेश पर मुकदमा लिखा।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से **साक्षी पी०डब्ल्यू०–6 निरीक्षक शीतल चन्द** ने सशपथ मुख्य बयान में बताया कि वह दिनांक 07.04.2021 को थाना खुटहन में बतौर अपराध निरीक्षक तैनात था। उस दिनांक को हस्ब आदेश थानाध्यक्ष खुटहन उसे मुकदमा अपराध संख्या–81/2021 की विवेचना प्राप्त हुई। दिनांक 07.04.2021 को विवेचना के क्रम में उसने पहला पर्चा किता किया, जिसमें नकल एफ०आई०आर०, नकल रपट, बयान लेखक एफ०आई०आर० लेकर केस डायरी में किता किया। विवेचना के क्रम में दिनांक 08.04.2021 को उसने दूसरा पर्चा किता किया, जिसमें अभियुक्तगण के मिलने के स्थानों पर दबिश दी गयी तथा पुलिस बल को हिदायत दिया, जिसका तसकिरा केस डायरी में दर्ज किया। दिनांक 10.04.2021 को उसने तीसरा पर्चा किता किया, जिसमें अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट पीड़ित, बयान वादी, निरीक्षण घटना स्थल, साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या–5क दिखाया गया, तो साक्षी ने कहा कि यह वह घटना स्थल है, जो पीड़ित के निशानदेही पर उसने बनाया था, जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 17.04.2021 को उसने पर्चा नं०–4 किता किया, जिसमें अभियुक्तों की सुरागरसी पतारसी किया, कोई दस्तयाब नहीं हुआ, जिसका तसकिरा केस डायरी में किया। दिनांक 24.04.2021 को उसने पर्चा नं०–5 किता किया, जिसमें बयान गवाह अवनीश सिंह लेकर किता किया। दिनांक 05.05.2021 को उसने पर्चा नं०–6 किता किया, जिसमें सुरागरसी पतारसी किया, अभियुक्त दस्तयाब नहीं हुए जिसका तसकिरा केस डायरी में दर्ज किया। दिनांक 09.05.2021 को उसने पर्चा नं०–7 किता किया, जिसमें सुरागरसी–पतारसी किया गया, अभियुक्त दस्तयाब नहीं हुए जिसमें एन०बी०डब्ल्यू० व 82 का तसकिरा किया। दिनांक 11.05.2021 को उसने पर्चा नं०–8 किता किया, पीड़ित का बयान धारा–164 दं०प्र०सं० के लिए कचहरी आया था लेकिन मजिस्ट्रेट साहब के अवकाश पर रहने के के कारण बयान अंतर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० नहीं हो सका। दिनांक 30.05.2021 को उसने पर्चा नं०–9 किता किया, जिसमें मुल्जिम दस्तयाब नहीं हुए जिसका तसकिरा केस डायरी में किया। दिनांक 21.05.2021 को उसने पर्चा नं०–10 किता किया, जिसमें पीड़ित को बयान धारा–164 दं०प्र०सं० के लिए न्यायालय लाया गया, जिसमें पीड़ित का कोरोना टेस्ट न होने के कारण बयान नहीं हो सका, जिसका तसकिरा केस डायरी में किया। दिनांक 04.06.2021 को उसने पर्चा नं०–11 किता किया, जिसमें हेड कॉ० सुरेन्द्र यादव के जरिये मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित माल दाखिला से सम्बन्धित विधि विज्ञान प्रयोगशाला रामनगर वाराणसी उ०प्र० प्राप्ति प्राप्त हुई, जिसका तसकिरा केस डायरी में किया। दिनांक 07.06.2021 को उसने पर्चा नं०–12 किता किया, जिसमें न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर पीड़ित का कोरोना टेस्ट कराया गया, परिणाम निगेटिव आया, जिसमें पीड़ित का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया, बयान

अंतर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० का अवलोकन कर केस डायरी में तसकिरा किया। दिनांक 18.06.2021 को उसने पर्चा नं०–13 किता किया, जिसमें अभियुक्त के मिलने के स्थानों पर दबिश दी गयी दस्तयाब नहीं हुआ। दिनांक 01.07.2021 को उसने पर्चा नं०–14 किता किया। मुखबिर–खास से अभियुक्त के बारे में पता किया कोई जानकारी नहीं मिली, केसडायरी में तसकिरा किया। दिनांक 06.07.2021 को उसने पर्चा नं०–15 किता किया, जिसमें बयान प्रधानाध्यापक लिया। प्रधानाध्यापक के बयान के अनुसार पीड़ित की जन्मतिथि 10.03.2009 अंकित किया गया है तथा प्रधानाध्यापक से प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया गया जिसका अवलोकन संलग्न सी०डी० किया गया तथा सचिन तिवारी के पढ़ने के विद्यालय में जाकर जन्मतिथि पता किया। पंजिका रजिस्टर के अनुसार सचिन तिवारी की जन्मतिथि 03.07.2021 पायी गयी तथा प्रधानाध्यापक से लिखित प्रमाणपत्र लिया गया, जिसको संलग्न सी०सी० किया गया। दिनांक 19.07.2021 को उसने पर्चा नं०–16 किता किया, जिसमें दबिश दी गयी, कोई मुल्जिम दस्तयाब नहीं हुआ। दिनांक 24.07.2021 को उसने पर्चा नं०–17 किता किया, जिसमें अभियुक्त गोलू तिवारी उर्फ सचिन तिवारी की गिरफ्तारी हुई और उसे दाखिल हवालात किया गया। जी०डी० नं०–22 बावत गिरफ्तारी साक्षी को दिखाया गया। साक्षी ने थानाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर की शिनाख्त किया, जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 24.07.2021 को उसने पर्चा नं०–18 किता किया, जिसमें प्राथमिक विद्यालय मेढ़ा जौनपुर के प्रधानाध्यापक का बयान लिया गया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 19.07.2013 पायी गयी और प्रधानाध्यापक द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र का अवलोकन किया और संलग्न सी०डी० किया। तत्पश्चात अवलोकन किया, तत्पश्चात बयान अभियुक्त गोलू तिवारी लिया और 14 दिवसीय रिमाण्ड न्यायालय से अनुरोध किया। दिनांक 06.08.2021 को उसने पर्चा नं०–19 किता किया, जिसमें माननीय न्यायालय पॉक्सो एक्ट आया, जिसमें अभियुक्त गोलू उर्फ सचिन को न्यायिक रिमाण्ड दिनांक 06.08.2021 से 18.08.2021 तक स्वीकृत हुआ। रिमाण्ड की स्लिप संलग्न सी०डी० किया। पर्चा नं०–20 अभियुक्त नितिन तिवारी सुरागरसी व पतारसी तसकिरा किया। दिनांक 27.08.2021 को उसने पर्चा नं०–21 किता किया, जिसमें विवेचना में मसरूफ होकर तथा थाना से प्रस्थान कर अभियुक्त नितिन तिवारी के मिलने के स्थानों पर दबिश दी गयी, दस्तयाब नहीं हुआ। दिनांक 04.09.2021 को उसने पर्चा नं०–22 किता किया, जिसमें अभियुक्त नितिन तिवारी के आत्मसमर्पण की सूचना प्राप्त हुई, जिसका तसकिरा करके संलग्न सी०डी० किया। दिनांक 07.09.2021 को उसने पर्चा नं०–23 किता किया, जिसमें बयान अभियुक्त नितिन तिवारी लिया, केस डायरी में तसकिरा किया तथा बयान डॉ० अंकित श्रीवास्तव चिकित्साधिकारी लिया, केस डायरी में तसकिरा किया। इस मुकदमे से सम्बन्धित विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट दिनांक

14.07.2021 शामिल पत्रावली है, जो उसने भेजा था उसी क्रम में प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी मेमो गोलू तिवारी उर्फ सचिन तिवारी साक्षी को दिखाया गया। साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया, जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–7 क साक्षी को दिखाया गया, जिसमें साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया, जिस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। दिनांक 07.09.2021 को अभियुक्तगण नितिन तिवारी व गोलू उर्फ सचिन तिवारी के विरूद्ध अब तक की तमामी विवेचना साक्ष्य संकलन बयान पीड़ित आदि के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र संख्या ए 193/2021 दिनांक 07.09.2021 को जुर्म धारा–377, 352, 504 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। साक्षी को आरोप पत्र शामिल पत्रावली दिखाया गया, तो साक्षी ने आरोप पत्र पर हस्ताक्षर की शिनाख्त किया जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। **इस साक्षी ने अपनी जिरह में बताया** कि पीड़ित की उम्र घटना के समय लगभग 11 वर्ष थी। वादी ने छः वर्ष बताया था। पीड़ित उसके सामने कई बार आया था। उसको देखने से उम्र 10–11 साल लग रही थी। उसने किसी गवाह के बयान में पीड़ित की उम्र छः वर्ष नहीं लिखा है। आरोप पत्र में भी नहीं लिखा है। पीड़ित प्राथमिक विद्यालय मेढ़ा, जौनपुर से पढ़ा है। प्रधानाध्यापक समरजीत ने पीड़ित की जन्मतिथि बतायी थी, उसने मेडिकल को पढ़ा था। मजरूबी चिट्ठी डॉक्टर को कब दिया था, याद नहीं। आघात आख्या में डॉक्टर ने उम्र 6 वर्ष लिखी। यह सही है कि प्रदर्श क–1 रपट वादी किसके द्वारा लिखायी थी, उस व्यक्ति का नाम पता ज्ञात नहीं किया। वादी ने यह बयान नहीं दिया था कि उसने रपट नहीं पढ़ा था, न ही रपट पढ़कर सुनायी गयी थी। वादी ने बताया था कि उसका लड़का घटना के समय कक्षा–4 में पढ़ रहा था। घटना स्थल पर 10.04.2021 को गया था। घटना के दो दिन बाद घटना स्थल पर गया था। उसने उम्र के बाबत कोई प्रमाण पत्र सी०एम०ओ० से प्राप्त नहीं किया। घटना स्थल पर मैहर माई का चौरा है। मन्दिर है कि नहीं, याद नहीं है। तालाब है कि नहीं, याद नहीं है। चौरा माई के मन्दिर जब वह गया था, तब वहां कोई पूजारी नहीं था। चौरा माई के मन्दिर के पास एक लकड़ी को चौकी थी, एक मड़ई थी। उसने आस–पास के लोगों से पूछतांछ नहीं किया कि यहां कोई रहता है कि नहीं। उसने मड़ई के पास बेल, कटहल, आम के पेड़ दर्ज किये थे।

15. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताया गया तथा साक्षीगण पी०डब्ल्यू०–1, पी०डब्ल्यू०–2 व पी०डब्ल्यू०–6 द्वारा गलत बयान दिया जाने का कथन किया तथा साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 के बयान के सम्बन्ध में कथन किया कि डॉक्टर साहब का बयान पूर्णयता गलत है। बारह वर्ष के लड़के को 6 वर्ष लिखा है। डॉक्टर बुद्धिमान नहीं है और अल्पज्ञानी है। साक्षी

पी०डब्ल्यू०–4 के बयान के सम्बन्ध में कथन किया कि बिना किसी साक्ष्य के अन्दाज से जन्मतिथि लिखी गयी है, जो गलत है एवं साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 के बयान के बयान के सन्दर्भ में कथन किया कि गलत दर्ज कराया गया है। स्वयं के विरूद्ध चलने के सम्बन्ध में बताया कि गलत फहमी के कारण व वादी द्वारा इसके पूर्व अपनी बहन को वादी बना करके गलत तथ्यों पर गम्भीर अपराध का मुकदमा उसके परिवार पर लिखा चुका है। स्वयं को निर्दोष होना कहते हुए सफाई साक्ष्य में लिखित बयान दाखिल करने का कथन किया है।

16. मैंने राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

निष्कर्ष

17. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 04.04.2021 को अभियुक्त नितिन तिवारी ने सचिन तिवारी के साथ मिलकर समय करीब 05.00 बजे स्थान ग्राम मेढ़ा, चौरा माई के मन्दिर के पास स्थित मड़ई में पड़े तखत पर पीड़ित के साथ अप्राकृतिक अपराध किया। उसके साथ बल का प्रयोग किया। साथ–साथ गाली देकर सआसय अपमानित किया। पीड़ित के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया है, जो पॉक्सो अधिनियम में दण्डनीय अपराध है। अभियोजन पक्ष ने अभियोजन कथानक को साबित किया है, इसलिए अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाए।

18. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि वादी मुकदमा की अभियुक्त के परिवार से पुरानी रंजिश है, जिसके कारण फर्जी मुकदमा काफी विलम्ब से दर्ज कराया गया है। विलम्ब का कारण स्पष्ट नहीं है। वादी मुकदमा ने अपने बारह वर्षीय पुत्र की उम्र 6 वर्ष दर्शाकर झूठा मुकदमा किया है। किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। वह व्यक्ति जो कथित घटना स्थल से पीड़ित को बाजार तक ले गया तथा जिसके यहां वादी मुकदमा रिस्तेदारी में जाना बताते हैं, दोनों महत्वपूर्ण साक्षी है, उन्हें अभियोजन पक्ष ने साबित नहीं किया है। चिकित्सक के द्वारा वादी मुकदमा के प्रभाव में झूठी रिपोर्ट तैयार की है और विवेचक ने सरसरी तौर पर बिना सभी विधिक पहलुओं पर विवेचना किये ही आरोप पत्र प्रेषित किया है। अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बयान में विरोधाभाष है। वह अभियोजन कथानक को साबित नहीं कर पाये हैं। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

19. हस्तगत प्रकरण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा–3/4 से सम्बन्धित है, इसलिए न्यायालय को हस्तगत प्रकरण में मुख्य रूप से दो तथ्य निर्धारित करने हैंः–

(i) क्या घटना की तिथि पर पीड़ित की अवयस्क था?

(ii) क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर घटना कारित किये जाने में अभियुक्त की संलिप्तता संदेह से परे साबित हो रही है? अथवा अभियोजन पक्ष द्वारा अपने साक्ष्य से इतने आधारभूत अवयव साबित किये हैं, जिनके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा–29 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की उपधारणा की जा सके।

(i) क्या घटना की तिथि पर पीड़ित की अवयस्क था?

20. पीड़ित की उम्र के सन्दर्भ में तहरीर प्रदर्श क–1 में पीड़ित की उम्र छः वर्ष बतायी गयी है। पीड़ित की आहत आख्या में उसकी उम्र छः वर्ष अंकित है। पीड़ित बालक के बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० के समय निरीक्षक के द्वारा उम्र 10 वर्ष अंकित करके प्रमाणित किया गया है। पीड़ित ने अपनी उम्र छः वर्ष बतायी है। सभी साक्षीगण यह बताते हैं कि पीड़ित घटना के समय प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था। प्राथमिक विद्यालय मेढ़ा के प्रधानाध्यापक साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 समरजीत तिवारी परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने प्रवेश रजिस्टर की स्व–प्रमाणित छायाप्रति प्रदर्श क–4 के रूप में साबित करते हुए दाखिल किया है, जिसमें पीड़ित की जन्मतिथि 10.03.2009 अंकित है। उनके द्वारा मुख्य बयान में बताया गया कि प्रवेश रजिस्टर के अनुसार क्रम संख्या–1704 पर पीड़ित की जन्मतिथि 10.03.2009 दर्ज है। पीड़ित ने कक्षा–1 से कक्षा–5 तक की शिक्षा उनके विद्यालय से ग्रहण की है। जिरह में उन्होंने बताया कि जब पीड़ित ने प्रवेश लिया, उस समय उसकी उम्र 6 वर्ष 3 माह थी। उसकी प्रवेश विद्यालय में 24.07.2015 को लिया गया और 30.03.2020 को पीड़ित ने कक्षा–5 पास किया है। जन्मतिथि पीड़ित के अभिभावक के द्वारा बताने पर लिखी गयी। नाम लिखाने उसकी मां आयी थी। उनकी राय में दिनांक 04.04.2021 को पीड़ित की उम्र 12 वर्ष से अधिक थी। वादी मुकदमा मुख्य बयान में बताते हैं कि घटना के समय पीड़ित की उम्र 11 वर्ष थी। रपट में तथा मेडिकल के समय उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए पीड़ित की उम्र छः वर्ष बताया व अंकित कराया। पीड़ित साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 के रूप में परीक्षित हुआ, जिसने अपनी उम्र मुख्य बयान में बयान देते समय 13 वर्ष बतायी है, जिरह में उसने बताया कि वह कक्षा–5 में पढ़ रहा था। छः वर्ष की उम्र उसने पिता के बताने पर बतायी थी। डॉक्टर साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 अंकित श्रीवास्त ने पीड़ित व उसके पिता के बताने पर उम्र 6 वर्ष बतायी थी और यह बताया कि वह लगभग छः वर्ष का लग रहा था। साक्षी पी०डब्ल्यू०–6 विवेचक शीतल चन्द्र भी अपने बयान में यह बताते हैं कि देखने से पीड़ित की उम्र 10–11 साल की लग रही थी।

21. पॉक्सो अधिनियम के तहत पीड़िता की उम्र के निर्धारण के बाबत कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं है, परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि–व्यवस्थाओं जैसे **जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य ए.आई.आर. 2013 एस.सी. 3467, महादेव बनाम महाराष्ट्र राज्य व एक अन्य**

(2013) 14 सुप्रीम कोर्ट केसेज 637 तथा नवीनतम विधि–व्यवस्था **पी.यू. प्रकाश बनाम राज्य जरिये इन्सपेक्टर ऑफ पुलिस 2023 लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट 538** में यह अवधारित किया गया है कि पॉक्सो मामले में पीड़िता की उम्र का निर्धारण किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख व संरक्षण) नियमावली 2007 के नियम 12 तथा किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा–94(2) के अनुसार की जायेगी, जिसके अनुसार निम्नक्रम में प्राप्त साक्ष्यों पर विचार किया जाएगा।

(i) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में

(ii) निगम या नगर पालिका प्रधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र,

(iii) (i) व (ii) के अभाव में आयु का अवधारण अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जाएगा।

22. यदि हस्तगत प्रकरण में धारा–94 के उपबन्ध के अनुसार पीड़ित की उम्र को देखा जाए, तो पीड़ित घटना के समय कक्षा–5 में पढ़ रहा था, यह कथन सभी साक्षीगण का है। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय में उल्लिखित जन्मतिथि पर सर्वप्रथम विचार किया जायेगा। प्राथमिक विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर में पीड़ित की जन्मतिथि 10.03.2009 अंकित है, जिसे विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा साबित किया गया है और पीड़ित की माता के द्वारा बताये जाने पर यह जन्मतिथि अंकित की गयी है। पीड़ित की जन्मतिथि प्राथमिक विद्यालय में लिखाये जाने के समय कोई भी विरोधाभाष हो, ऐसा तथ्य नहीं है। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय में उल्लिखित जन्मतिथि के आधार पर घटना की तिथि पर पीड़ित की उम्र 11 वर्ष 24 दिन की आती है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क दिया गया कि वादी मुकदमा ने केवल दबाव बनाने के लिए कि पीड़ित की उम्र छः वर्ष दर्शायी, जबकि वह इस तथ्य को जान रहे थे कि पीड़ित की उम्र 11–12 साल है। इसलिए उनके द्वारा किये गये कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि बच्चे की मां के द्वारा बच्चे की जन्मतिथि प्राथमिक विद्यालय में लिखायी गयी है। अन्य सभी कथन मौखिक है, जो उम्र के बाबत अनुमान को इंगित करते हैं। प्राथमिक विद्यालय में लिखायी गयी जन्मतिथि सर्वमान्य हस्तगत प्रकरण में है, क्योंकि कोई भी ऐसा तथ्य पत्रावली पर नहीं है, जो उसकी जन्मतिथि पर अविश्वास करने का कारण उत्पन्न करें। जहाँ तक इस तथ्य का प्रश्न है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में तथा अन्य स्थान पर पीड़ित की उम्र 6 वर्ष लिखायी गयी है, उसके सन्दर्भ में यह तथ्य अवश्य उल्लेखनीय है कि प्रकरण को गम्भीर बनाने के उद्देश्य से उम्र 6 वर्ष लिखा दी गयी हो और वादी मुकदमा के कहने पर ही पीड़ित के द्वारा चिकित्सीय परीक्षण व धारा–164 दं०प्र०सं० का बयान होते समय 6

वर्ष की आयु बतायी गयी हो, परन्तु इससे जन्मतिथि के सन्दर्भ में अविश्वास उत्पन्न नहीं होता है। पीड़ित की आयु घटना की तिथि पर 11 वर्ष 24 दिन थी, 18 वर्ष से कम तथा 12 वर्ष से भी कम आयु है। तदनुसार प्रथम बिन्दु निस्तारित किया जाता है।

(ii) क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर घटना कारित किये जाने में अभियुक्त की संलिप्तता संदेह से परे साबित हो रही है? अथवा अभियोजन पक्ष द्वारा अपने साक्ष्य से इतने आधारभूत अवयव साबित किये हैं, जिनके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा–29 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की उपधारणा की जा सके।

23. अभियोजन पक्ष की ओर से तहरीर प्रदर्श क–1 में घटना के सन्दर्भ में यह उल्लिखित किया गया कि अभियुक्त नितिन तिवारी ने अपने साथी के साथ मिलकर 04.04.2021, समय 05.00 बजे पीड़ित को बहला–फुसलाकर सुनसान नाले की तरफ ले गये और दुराचार किया। वादी घर पर नहीं था। जब कल घर आया, तो उसकी पत्नी व लड़के ने रो–रोकर सारी बात बतायी। इसके बात को पूछने वह नितिन तिवारी व गोलू तिवारी के पास पहुंचा, तो उन लोगों ने उलाहना न सुनकर गाली देते हुए उसे मारने को दौड़े और धमकी दिया कि जो करना हो कर लेना। यह तहरीर दिनांक 07.04.2021 को थाने पर दी गयी, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–5** दिनांक 07.04.2021 को समय 20.20 पर लिखी गयी। घटना दिनांक 04.04.2021 की बतायी गयी। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में तीन दिन का विलम्ब है। तहरीर के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहरीर को किसी अन्य ने लिखा है और वादी मुकदमा संजीत कुमार सिंह ने अपना हस्ताक्षर बनाया है। विलम्ब के सन्दर्भ में तहरीर में ही यह उल्लिखित है कि वह घर नहीं था। कल रिस्तेदार के यहाँ से घर वापस आया, तो पत्नी व पीड़ित न उसे सारी बात बतायी। वादी मुकदमा साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 ने मुख्य बयान में बताया कि वह रिस्तेदारी में गया था, जब वापस आया, तो उसकी पत्नी व लड़के ने रो–रोकर सारी बात बतायी। वह मुल्जिमान के घर उलाहना देने गया, तब उसे मारने के लिए गाली देते हुए दौड़ा लिये। जिरह में उसने इस तथ्य को और स्पष्ट किया कि वह अपने घर से 20 किलोमीटर दूर घटना के दिन अपने सढुआन, दिन में 01.00 बजे कुवंरपुर साढू ढिंन्चू सिंह के यहां गया था। दिनांक 07.04.2021 को 11.00 बजे वापस अपने घर आया। तीन दिन तक साढू के यहां रूका, वहां पर जगराता का प्रोग्राम था। इस प्रकार वादी मुकदमा ने रिपोर्ट लिखाने में हुए विलम्ब को स्पष्ट रूप से बताया है। यह तथ्य अवश्य उल्लेखनीय है कि घटना के दिन पीड़ित की मां थी, वह शिकायत करने जा सकती थी और अपने पति को सूचित कर सकती थी, परन्तु यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा ने स्वयं का अकेला परिवार गांव में होना बताया है और कोई भी स्त्री अपने पति के आने पर ही उसे घटना के बारे में बता कर, विचार–विमर्श करके

ही मुकदमा पंजीकृत करायेगी। वादी मुकदमा जिस रिस्तेदारी में गया था, उसकी दूरी लगभग 20 किलोमीटर बतायी गयी है और थाने की दूरी 10 किलोमीटर वादी मुकदमा के घर से हैं। लैंगिक अपराधों के मामले में विलम्ब होना स्वाभाविक है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **दीपक बनाम हरियाणा राज्य (2015) 4 एस.सी.सी. 762, स्टेट ऑफ यू०पी० बनाम मनोज कुमार ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 711 तथा संतोष मूल्य बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 224**7 में यह अवधारित किया गया कि न्यायालय को यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि लैंगिक अपराध और विशेष रूप से बलात्संग के अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में कई कारणों से विलम्ब होता है। एक महत्वपूर्ण कारण परिवारी की सामाजिक प्रतिष्ठा, पीड़ित की मानसिक स्थिति, भय, शर्म और संकोच होता है। ऐसे मामलों में शान्ति से विचार करने के पश्चात और घटना से उत्पन्न होने वाले समस्त परिणामों पर विचार करने के उपरान्त ही आमतौर पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है। दूसरा कारण पीड़िता का अशिक्षित होना, घर में कोई पुरूष सदस्य न होना भी है। यदि अभियोजन विलम्ब का संतोषजनक कारण दे देता है, तो केवल विलम्ब के आधार पर अभियोजन मामला अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में विलम्ब का कारण स्पष्ट रूप से बताया गया है। बचाव पक्ष की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि–व्यवस्था **थुलिया काली बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू 1972 (3) एस.सी.सी. 393** प्रस्तुत की गयी है, जिसमें यह अवधारित किया गया कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में 20 घण्टे के विलम्ब हुआ है, वह विलम्ब स्पष्टीकृत नहीं है, तो अभियोजन के लिए घातक है। हस्तगत प्रकरण में विलम्ब का कारण स्पष्ट है। अतः यह विधि–व्यवस्था हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होती है।

24. तहरीर प्रदर्श क–1 में घटना दिनांक 04.04.2021 समय शाम करीब 05.00 बजे की सुनसान नाले के करीब की बतायी गयी है और अभियुक्त के द्वारा अप्राकृतिक दुराचार का कथन किया गया है। घटना का महत्वपूर्ण साक्षी पीड़ित है, जिसने घटना के सन्दर्भ में धारा–161 दं०प्र०सं० के बयान में यह बताया कि वह मेढ़ा बाजार पूजा का सामान लेने जा रहा था। तभी उसके गांव के गोलू व नितिन उसे अपने पास बुलाये और फुसलाकर साइकिल पर बिठाकर नाले की तरफ बगीचे में ले गये, वहाँ पर एक मड़ई है, जिस पर एक तखत रखा है, उसी पर बारी–बारी से उसके साथ गलत काम किये। जब वह चिल्लाया, तो दोनों वहीं छोड़कर भाग गये। एक आदमी, जो पास से गुजर रहा था, की मदद से मेढ़ा बाजार आया, जहां से पैदल चलकर अपने घर आया और अपनी मां से पूरी बात बतायी। पिता जी नहीं थी, जब आये, तब उन्हें पूरी बात बतायी, तब उसे लेकर थाने पर जाकर मुकदमा लिखाये, जहाँ से मेडिकल के लिए जौनपुर अस्पताल सिपाही से साथ गये। धारा–164 दं०प्र०सं० के बयान प्रदर्श क–2 में पीड़ित ने बताया कि घटना दिनांक 04.04.2021 शाम

05.00 बजे की है। उसे बहला–फुसलाकर नितिन व गोलू नौरंगाबाद नाले के पास ले गये और नितिन व गोलू ने बारी–बारी से अपने पेशाब करने वाली चीज को उसके संडास करने वाले रास्ते में घुसा दिया और गलत काम किया। वह चिल्लाने लगा, तो एक बूढ़ा आदमी, जो कि रास्ते से जा रहा था, ने बचाया और अपनी साइकिल से मेढ़ा बाजार ले गये, उसके बाद वह घर गया। डर के कारण यह बात किसी को नहीं बताया। अगली सुबह 05.04.2021 को अपनी मम्मी को बताया। मम्मी जब उलाहना देने गयी, तो उन लोगों ने मम्मी को डाट–डपटकर गाली देते हुए भगा दिया। पीड़ित साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 के रूप में परीक्षित हुआ, जिसने मुख्य बयान में बताया कि घटना 04.04.2021 की शाम 05.00 बजे की है। घटना का स्थान नौरंगाबाद नाले के पास सुनसान बगीचे की है। उसके साथ नितिन व सचिन ने उसके गुदाद्वार में अपना पेशाब करने वाला अंग डाला है। घटना के दिन वह बाजार मेढ़ा पूजा का सामान लेने जा रहा था। वह दोनों नाले के पास बहला–फुसलाकर ले गये। बगीचे में एक मड़ई थी। मड़ई में एक चौकी थी, जिस पर लेटा दिया। पहले नितिन ने उसके बाद गोलू ने गलत काम किया। शोर करने पर बुड्ढा राहगीर आ गया, तो वे दोनों भाग गये। घटना के दूसरे दिन उसने अपनी मम्मी को बताया था। जिरह में उसने बताया कि उसका स्कूल सुबह 08.00 बजे से 02.00 बजे तक होता है। स्कूल से आकर खाना–खाकर सो गया था। करीब 03.00 बजे उठा। उठने के बाद बाजार पूजा का सामान लेने जा रहा था। पैदल जा रहा था। नितिन बाजार में मिले, जो अगल–अगल साइकिल पर थे। नितिन तिवारी ने जबरदस्ती साइकिल पर आगे बैठाया। मड़ई एक थी। जहां पर उसे साइकिल पर बैठाया गया, वहां से मड़ई दो–तीन किलोमीटर दूर थी। उसे जिस मड़ई में ले जाया गया, वहां पर तखत वगैर था। मड़ई के बगल में मन्दिर है, किस देवता का है, नहीं मालूम। मड़ई में कोई पूजारी नहीं रहता है। वहां केवल छोटी सी एक पिण्डी है। जब मड़ई में ले गये, तब नितिन ने तखत पर लिटाया, तखत पर लेटाते समय विरोध किया, उसने शोर किया, शोर पर कोई नहीं आया। वह आदमी मड़ई के पास मिला। वे दोनों लोग उसे छोड़कर भाग गये। वह आदमी अधेड़ था, उसे बाजार लेकर गया। गांव लेकर नहीं आया था। उसके शरीर पीठ एवं गुदा द्वारा में चोट आयी थी और किसी जगह चोट नहीं आयी थी। पीठ से खून नहीं निकला था। स्वयं कहा कि गुदा द्वार से खुन निकला था। उसे किसी ने मारा नहीं था। इस प्रकार पीड़ित साक्षी अपने तीनों बयानों में स्वयं के साथ अप्राकृतिक दुराचार करने की बात दिनांक 04.04.2021 को बताता है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि घटना क्रम के सन्दर्भ में यदि पीड़ित ऐसा बयान देता है, जिससे उसके बयान को सही होना न्यायालय पाता है और कोई विरोधाभाष नहीं पाता है, उस स्थिति में केवल पीड़ित व्यक्ति के बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में पीड़ित के द्वारा जो कथन किये गये हैं, उनमें कहीं भी कोई विरोधाभाष नहीं है। केवल उम्र के सन्दर्भ में ही

विरोधाभाष है, जो उसने अपने पिता के बताने पर दिया है। अततः उसने स्वीकार भी किया है कि तत्समय उसकी उम्र वास्तविक रूप से क्या थी। लैंगिक अपराध के मामले में चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव पी०डब्ल्यू०–3 के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने पीड़ित के द्वारा बताये गये घटना क्रम को आहत आख्या प्रदर्श क–3 में उल्लिखित किया है और पीड़ित के शरीर पर आयी चोटे के बारे में बताया कि उसकी दाहिनी भुजा के 5 सेमी. नीचे 2 X .5 सेमी. का छिला हुआ घाव था। पीठ पर बाये स्केपुला से 5 सेमी. नीचे 4 X 0.2 सेमी. का छिला हुआ निशान था। पीठ पर ही स्केपुला के 1 सेमी. नीचे बायी तरफ 1 X 1 सेमी. का छिला हुआ भाग था। परीक्षण के समय उसने कपड़ा बदल रखा था। उसके गुदा के आसपास कोई अन्य प्यूबिक हेयर मौजूद नहीं था। लोकल परीक्षण में–पेरीजनल परीक्षण में छिला हुआ 1 X 0.5 सेमी. ऐट 6 'o' Clock के पोजीशन पर था। रंग रेडिस ब्राउन था। छिला सूजन का निशान था। 0.8 सेमी. X 0.5 सेमी., 12 'o' Clock के पोजिशन में छिला हुआ था। गुदा के आसपास की चमड़ी का रंग परिवर्तित था, वह सूजा हुआ था। गुदा फेज हल्का फैला व ढीला था। अंगुली से परीक्षण के समय दर्द हो रहा था, उस समय ताजा रक्तस्राव नहीं था। उसकी राय में उक्त घाव घर्षण एवं ब्लन्ट आब्जेक्ट से चोट के कारण हुआ। चोट लगभग 4–5 दिन पुरानी थी। जिरह में यह बताया कि पीड़ित के मेडिको लीगल रिपोर्ट में कहीं सुजन नहीं लिखा है। पीड़ित को दो एब्रिवेटेड कैन्कुलेजन था। लैनियर एबरेजन की चोट नाखून जैसे वीपन से आती है। पीड़ित का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 09.04.2021 को 04.30 पी०एम० पर हुआ है। घटना दिनांक 04.04.2021 की है। इस प्रकार घटना के पांच दिन के बाद चिकित्सीय परीक्षण हुआ है, जिसमें चोटों की अवधि 4–5 दिन की होनी बतायी गयी है। पीड़ित के गुदा के आसपास की चमड़ी का रंग परिवर्तित पाया गया। वह सूजा हुआ था और दर्द महसूस हो रहा था। छिले हुए घाव भी उस स्थान पर पाये गये। पीड़ित की पीठ और दाहिनी भूजा पर भी चोट के निशान पाये गये, जो 4–5 दिन पुराने थे। यदि नक्शा–नजरी प्रदर्श क–7 को देखा जाए, तो "एक्स" व "ए" स्थान पर घटना घटित होना बताया गया है, जो लकड़ी की चौकी व मड़ई के नीचे स्थान है। उसके चारों तरफ आम, कटहल, बेल का पेड़ है और उत्तर तरफ माई का चौरा है, जिससे मेड़ सड़क तक गयी है। सड़क नौरंगाबाद से मेढ़ा कच्चा मार्ग है। विवेचक भी अपने बयान में यह बताते हैं कि घटना स्थल पर मैहर माई का चौरा है। चौरा माई के मन्दिर पर कोई पूजारी नहीं मिला था। लकड़ी की चौकी थी। एक मड़ई भी थी। उसने मड़ई के पास के बेल, कटहल, आम का पेड़ दर्ज किया था। पीड़ित की घटना स्थल के पास माई की पिण्डी, मड़ई, चौकी आदि होना बताता है। इस प्रकार पीड़ित के द्वारा घटना की तिथि, समय, स्थान तथा घटना क्रम के बारे में जो भी कथन किये गये हैं, उनमें यह न्यायालय

कोई संदेह नहीं पाती है। साथ ही साथ उक्त तथ्यों का समर्थन चिकित्सीय रिपोर्ट, डॉक्टर के द्वारा दिये गये बयान, विवेचक के द्वारा निर्मित नक्शा–नजरी और विवेचक के बयान से भी होता है।

25. इस प्रकार धारा–29 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत उपधारणा के लिए, जिन आवश्यक तत्वों को साबित करने की आवश्यकता होती है, वह सभी तथ्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के माध्यम से साबित किया गया है। अतः अभियुक्त नितिन तिवारी के विरूद्ध यह उपधारणा की जाती है कि उसके द्वारा पीड़ित के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला/अप्राकृतिक दुराचार किया गया है। तदनुसार द्वितीय बिन्दु निस्तारित किया जाता है।

26. अब बचाव पक्ष को यह साबित करना है कि घटना कारित करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्हें झूठे तरीके से मुकदमा में फसा दिया गया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पहला तर्क यह दिया गया कि वादी मुकदमा ने जानबूझकर पीड़ित की उम्र कम बतायी और प्रार्थनापत्र साजिश के तहत पूरी तरह सोच–विचार करके अभियुक्त को फसांने के लिए विलम्ब से दिया गया, जिरह में उसने स्वीकार किया कि जब उसने रिपोर्ट लिखायी, उस समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए उसके कथनों पर विश्वास करके अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। बिन्दु संख्या 1 के निस्तारण में इस बाबत विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया है कि वादी मुकदमा के द्वारा किन परिस्थितियों में पीड़ित की उम्र को कम लिखाया गया है, परन्तु किसी भी साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि पीड़ित बालिग है। बल्कि यही तथ्य निकल कर आता है कि पीड़ित की उम्र 12 वर्ष से कम थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में विलम्ब हुआ है, लेकिन विलम्ब का स्पष्टीकरण वादी मुकदमा के द्वारा तहरीर में तथा अपने बयानों में दिया गया है। पीड़ित ने भी अपने बयान में यह बताया कि उसके पिता घटना की तिथि पर घर पर नहीं थे। यह तथ्य अवश्य है कि वादी मुकदमा ने जिरह बताया कि चार–पांच महीना उसका दिमाग सही नहीं था, परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह विधिक रूप से इतना अक्षम हो गया हो कि उसे किसी भी तथ्य की समझ न रही हो। सामान्य तौर पर कोई भी साक्षी किसी तथ्य को बढ़ा–चढ़ाकर बताता है। हस्तगत प्रकरण में वादी मुकदमा ने अपने पुत्र की उम्र को अस्वाभाविक रूप से छः वर्ष का तहरीर में लिखाया, उसी तथ्य को साबित करने के लिए यह कथन किये गये, ऐसा प्रतीत होता है। किसी भी प्रकरण में एक तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए विश्लेषण नहीं किया जाता है, बल्कि पत्रावली पर मौजूद समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाता है। इस तथ्य से कि उम्र गलत लिखा दी गयी अथवा वादी ने स्वयं का दिमाग सही न होने की बात कही है, इसलिए पूरा प्रकरण झूठा नहीं हो जाता है।

27. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि वादी मुकदमा तथा अभियुक्तगण के परिवार के मध्य पुरानी रंजिश है, जिसके कारण पहले वादी मुकदमा ने अपनी बहन की ओर से मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अंतिम रिपोर्ट पुलिस के द्वारा लगायी गयी। उस प्रकरण में सफलता न मिलने पर दुबारा या मुकदमा झूठा पंजीकृत करा दिया गया है। यह तथ्य सही है कि वादी मुकदमा की बहन के द्वारा पूर्व में कुछ व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसे वादी मुकदमा ने स्वीकार भी किया है और बचाव पक्ष ने उस प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट व अंतिम रिपोर्ट की छायाप्रति दाखिल की है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उस अपराध संख्या 270 सन् 2016 में वादिनी प्रियंका थी। वह प्रकरण इस वादी मुकदमा द्वारा दर्ज नहीं कराया गया था और न ही वह प्रकरण इस मुकदमें के अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज हुआ था। उभयपक्ष के मध्य रंजिश विद्यमान है। यह तथ्य वादी मुकदमा भी स्वीकार करता है। रंजिश और दुश्मनी एक–दो धारी तलवार की तरह है, जिसमें जितनी सम्भावना किसी को झूठा फसाने की है, उतनी की सम्भावना दूसरे व्यक्ति के द्वारा घटना कारित करने की भी होती है। सामान्य भारतीय समाज में कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र के साथ ऐसे घृणित अपराध को होना कहकर, किसी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने से सामान्य तौर पर बचेगा। हस्तगत प्रकरण में घटना का समर्थन आहत आख्या से भी होती है, इसलिये यह कहना कि अभियुक्त को झूठे तरीके से पूरानी रंजिशवश फसाया गया है, में यह न्यायालय कोई बल नहीं पाती है।

28. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि विवेचक के द्वारा सही तरीके से विवेचना न करके सरसरी तौर पर विवेचना की गगयी है और आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अपने कथन के समर्थन में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विधि–व्यवस्था **संजीव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2017 (101) ए.सी.सी. 255** प्रस्तुत की गयी है, जिसमें यह अवधारित किया गया कि विवेचक के द्वारा गलत विवेचना करते हुए, किसी भी प्रकार से मुकदमा हल करने के उद्देश्य से बिना प्रकरण की गम्भीरता को समझे तथा बिना पहचान परेड कराये अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया, यह जानते हुए कि न्यायालय विधि के अनुसार अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं कर सकता हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रकरण उपरोक्त विधि–व्यवस्था के तथ्यों से सर्वथा भिन्न है। विधि–व्यवस्था में तथ्य यह था कि पीड़िता/मृतका के साथ घटना कारित होते हुए किसी ने नहीं देखा था और मृतका के साथ जो बहन गयी थी, उससे अभियुक्त की पहचान आइडेन्टीफिकेशन परेड के माध्यम से नहीं करायी गयी थी। हस्तगत प्रकरण में पीड़ित जीवत है, जिसने उसके साथ घटित होने वाली घटना को स्पष्ट रूप से बताया है।

29. अभियुक्त के विरूद्ध धारा–352, 504, भारतीय दण्ड संहिता का भी आरोप विरचित हुआ है, जिसमें यह कथन किया गया है कि वादी मुकदमा के पुत्र के साथ आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए घटना कारित की गयी है तथा उसके पुत्र को भद्दी–भद्दी गालियां देकर सआशय अपमानित किया गया है। धारा–352 के तहत आपराधिक बल प्रयोग करने पर दण्ड का उपबन्ध किया गया है। आपराधिक बल को धारा–350 में इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है, क्षति, भय या क्षोभ, ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से, या ऐसे बल के प्रयोग से सम्भाव्यतः कारित करेगा, यह जानते हुए, सआशय करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है। हस्तगत प्रकरण में पीड़ित के द्वारा जिरह में यह कहा गया कि उसे साइकिल पर जबरदस्ती बिठा लिया गया तथा उसे चौकी पर लिटाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुराचार किया गया। उसे चोट भी पीठ और हाथ पर आयी है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि पीड़ित के साथ आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है। धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप के तथ्य हस्तगत प्रकरण में साबित नहीं है। धारा–3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अनुसार, प्रवेशन लैंगिक हमला– कोई व्यक्ति ”प्रवेश लैंगिक हमला” करता है यदि वह (क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रेवश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या (ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या (ग) बालक के खरी के किसी भीग के साथ ऐसा अभिचालन करता है, जिससे कि वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या (घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर मुंह लगाया है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है तथा धारा–4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अनुसार, प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दण्ड–[(1) जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। (2) जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी

दायी होगा। (3) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, ऐसे पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा।] हस्तगत प्रकरण में पीड़ित की आयु 16 वर्ष से कम है। इसलिए धारा–4 के द्वितीय खण्ड के तहत अभियुक्त के द्वारा अपरध किया जाना स्पष्ट है।

30. इस प्रकार अभियोजन पक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्यों के माध्यम से इस अभियोजन कथानक को साबित करने में विरचित आरोप के अनुसार साबित करने में सफल रहा है कि पीड़ित की आयु 16 वर्ष से कम है, उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला/अप्राकृतिक दुराचार किया गया है। इस कार्य को करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है, परन्तु धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता के तत्वों को साबित नहीं किया गया है। इसलिए अभियुक्त नितिन तिवारी को लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–377, 352 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाने योग्य है तथा धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त किया जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–147 सन् 2021, मुकदमा अपराध संख्या–81 सन् 2021 स्टेट बनाम तिनित तिवारी, थाना खुटहन, जिला जौनपुर के प्रकरण में अभियुक्त नितिन तिवारी को आरोप अन्तर्गत धारा–377, 352 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है तथा धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त किया जाता है।

दोषसिद्ध नितिन तिवारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। दोषसिद्ध को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

दोषसिद्धगण नितिन तिवारी को दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 02.06.2026 को पेश हो।

<u>दिनांकः–01.06.2026</u>

(सुरेन्द्र प्रताप यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्/
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम,
जौनपुर।
(ID. No.-UP1668)

<u>दिनांक–02.06.2026</u>

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई।

दोषसिद्ध नितिन तिवारी न्यायिक अभिरक्षा में है।

दण्ड के प्रश्न पर दोषसिद्ध नितिन तिवारी के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

दोषसिद्ध नितिन तिवारी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वह नव युवक है। उसका यह प्रथम अपराध है। वह पढ़ाई करता है। पिता खेतीबाड़ी करके जीवन–यापन करते हैं। वह अपने पिता का इकलौता पुत्र है। अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह कथन किया गया कि दोषसिद्ध द्वारा अत्यन्त गम्भीर व घृणित अपराध कारित किया गया है, कारित अपराध से पीड़ित के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसका दंश उसे जीवन भर रहेगा, समाज पर दोषसिद्ध के अपराध से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः उसे अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का अपराध कारित करने का दुःसाहस न कर सके।

दोषसिद्ध को धारा–377 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा–4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के साथ–साथ धारा–352 भारतीय दण्ड संहिता में भी दोषसिद्ध किया गया है। धारा–4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास तक ही हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने का भी दायी होगा या मृत्यु से दण्डित किया जायेगा, का उपबन्ध है। धारा–377 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार, जो कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव–जन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध स्वेच्छया इन्द्रियाभोग करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डिनीय होगा। धारा–4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा धारा–377 भारतीय दण्ड संहिता समान प्रकृति के अपराध के सन्दर्भ में दण्ड का उपबन्ध करते हैं, परन्तु लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम विशिष्ट अधिनियम होने के कारण धारा–4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में दण्डित किया जाएगा।

उभयपक्षों के द्वारा दिए गए तर्कों, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, दोषसिद्ध द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता, समाज पर पड़ने वाले उसके कुप्रभाव, अपराध के कारण पीड़ित पर पड़ने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक प्रभाव, अपराध के समय पीड़ित की आयु, दोषसिद्ध की आयु, उसकी मानसिक परिपक्वता पर विचार करने के उपरान्त

न्यायालय का मत है कि दोषसिद्ध नितिन तिवारी को निम्नलिखित दण्डों से दण्डित किये जाने से न्याय की मंशा की पूर्ति होगी।

आदेश

1. विशेष सत्र परीक्षण संख्या–147 सन् 2021, मुकदमा अपराध संख्या–81 सन् 2021 स्टेट बनाम नितिन तिवारी, थाना खुटहन, जनपद जौनपुर के प्रकरण में, दोषसिद्ध नितिन तिवारी को धारा–4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा मुबलिग 50,000/–(पचास हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा किये जाने की दशा में दोषसिद्ध को छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
2. दोषसिद्ध को धारा–352 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत तीन माह के कारावास तथा मुबलिग 500/–(पांच सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा किये जाने की दशा में दोषसिद्ध को दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
3. दोषसिद्ध की सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी।
4. दोषसिद्ध द्वारा पूर्व में इस मामले में जेल में बिताई गयी अवधि इस सजा की अवधि में समायोजित होगी।
5. अर्थदण्ड की समस्त धनराशि पीड़ित को दी जाए।
6. निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध को नियमानुसार निःशुल्क दी जाए।
7. निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर को प्रेषित की जाए।
8. निर्णय की एक प्रति जिला कारागार, जौनपुर को जेल अपील के प्रयोजन हेतु प्रेषित की जाए।
9. दोषसिद्ध का सजायाबी वॉरण्ट तैयार करके, दण्ड भुगतने हेतु जिला कारागार अविलम्ब प्रेषित किया जाए।

दिनांकः–02.06.2026

(सुरेन्द्र प्रताप यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्/
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम,
जौनपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः–02.06.2026

(सुरेन्द्र प्रताप यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्/
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम,
जौनपुर।
(ID. No.-UP1668)